पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

वाद प्रार्थना पत्र संख्या 104/09 तारीख रजू– 08/04/09

आम जनता बोरिफ ढाणी सग्रामपुरा ।
1– ओमप्रकाश पुत्र गोरधन
1/1 श्रीमति छोटा बेबा श्योनारायण 1/2 ग्यारसा पुत्र श्योनारायण
1/3 कन्हैया पुत्र श्योनारायण 1/4 कानी पुत्री श्योनारायण
1/5 मूला पुत्री श्योनारायण
2– सुखदेव पुत्र रामसहाय मृतक जरिये वारिसान
2/1 रामसहाय पुत्र सुखदेव
2/1 हीरालाल पुत्र सुखदेव
3– गिर्राज पुत्र सीताराम
4– लड्डू पुत्र भैरू
5– मोतीलाल पुत्र संरपच ग्राम पंचायत जीनापुर
6– भूरा पुत्र देवीराम (मृतक)
7– मदन पुत्र बालू गूर्जर
सभी निवासी ग्राम बोरिफ ढाणी सग्रामपुरा
8– उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर

———प्रार्थी

बनाम

1– रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल जाति रेगर
2– कन्हैयालाल पुत्र रामलाल जाति रेगर निवासी लट्ठा पेट्रोल पम्प के पास स्टेशन बजरिया सवाई माधोपुर
3– श्रीमती प्यारी बेवा रामफूल
4– गीता पुत्री रामफूल
5– रामकरण पुत्र पाचू (मृतक)
5/1 – प्रेम पुत्र रामकरण सभी जाति गूर्जर निवासी बोरिफ ढाणी सग्रामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

———अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> **दिनांक– 16/12/16**

ग्राम **बोरिफ की ढाणी** सग्रामपुरा में स्थित आराजी ख0नं0 431,432,433 में से रामकरण पुत्र पाचू, भूरा पुत्र मांग्या, भूरा पुत्र देवीराम, रामफूल पुत्र धन्ना को दिनांक 06/11/75 को 5–5 बीधा भूमि प्रत्येक को आंवटित की गई थी। उक्त आवंटन को न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22/08/83 द्वारा यथावत रखा है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04/08/99 से आववंटियों के पक्ष में किया गये विवादित आवंटन को निरस्त कर दिया । जिससे व्यथित होकर आवंटियों ने अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 10/03/2006 द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि विवादित भूमि वक्त आवंटन चरागाह थी या क्योंकर तथा यदि चरागाह थी तो आया उसकी किस्म परिवर्तन कर ही आवंटन किया गया, जांच की जाकर विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये । उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर आया है। राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार यह देखना है कि आवंटन के समय उक्त वाद आराजीयात चरागाह थी या नहीं , यदि चरागाह थी तो किस्म परिवर्तन हुआ है या नहीं । आवंटन के समय वाद आराजीयात चरागाह भूमि थी। ख0नं0 431,432,433 में से दिनांक 06/11/75 को आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन हुई थी। जमाबन्दी सम्वत् 2028–2031 में उक्त भूमि चरागाह दर्ज थी। चरागाह भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं है। उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की जांच रिपोर्ट कमांक 1162 दिनांक 30/08/83 में सभी तथ्य अंकित है एवं उप जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक

चरागाह भूमि सिवायचक में संपरिवर्तन ओदश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, ना हि कोई रिकोर्ड संधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 06/11/75 निरस्त फरमाने का श्रम करे।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में चरागाह भूमि में से आवंटन हेतु प्रतिबन्ध हटा दिया गया था। उक्त चरागाह भूमि में से आवंटन का प्रतिबन्ध हटाने संबंधित नोटिफिक्शन के आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि आंवटन की गई है। उक्त आवंटन नियमानुसार किया गया है। आवंटी द्वारा नियमानुसार पेलन्टी भी जमा कराते हुए आवंटीत भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाई गई है। उक्त वाद आराजीयात पर मौके पर खरीदार का कब्जा काश्त है। केवल सिविल न्यायालय ही दस्तावेजो को खारीज कर सकती है। जिससे उक्त आवंटन आदेश खारिज करना किसी प्रकार का न्यायोचित नहीं है। अतः अर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत का आंवटन आदेश यथावत रखा जावे।

विद्वान पेरोकार सरकार व वकील विपक्षीगण की बहस सुनने व उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि आवंटन के समय उक्त वाद आराजीयात चरागाह भूमि थी। उक्त प्रकरण को मूल उद्देश्य है कि आवंटन नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं । इस संबंध में मै राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ6 (87) राज/जीआर/75 एसजी 164 दिनांक 24 अक्टूबर एवं नोटिफिकेशन नम्बर –एसओ 177 दिनांक 02/11/75 की और आकर्षित करना चाहूंगा। उक्त नोटिफिकेशन व अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने अक्टूबर व नवम्बर 75 के दौरान जिला अजमेर , झालावाड, जयपुर , भरतपुर, सवाई माधोपुर ,कोटा,बून्दी एवं टोंक जिलों के ग्रामों के भूमिहीन व्यक्तियों के लिये भू आवंटन अभियान के दौरान राजस्थान टीनेन्सी (गर्वमेन्ट रूल 1955) के नियम 7 में लोक हित में चरागाह भूमि के आवंटन की पाबन्दी माह अक्टूबर व नवम्बर 75 के लिये हटा दी थी और राज्य सरकार के बजाय अधिकार इन जिलों के जिलाधीशों एवं उप जिलाधीशों को दे दिये थे। जहां तक जिला सवाई माधोपुर का प्रश्न है इस जिले में जंगलात भूमि काफी होने व चरागाह का अभाव नहीं मानते हुए उसके लिये तो ग्राम सभा के प्रस्ताव को भी आवश्यक चरागाह भूमि को किस्म परिवर्तन के लिये आवश्यक थी वह भी हटा दी थी। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/नोटिफिक्शन के क्रम में उक्त आवंटन आदेश खारिज करना मै उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आंवटन आदेश दिनांक 06/11/75 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर